(भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–II, खण्ड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय

अधिसूचना सं. 9 / 2015–2020
नई दिल्ली, दिनांकः 28 जून, 2021

विशयः आईटीसी (एचएस), 2017 अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत मदों हेतु आयात नीतिगत भार्तों में संशोधन।

सा.आ. (अ) समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015–2020 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 के तहत प्रदत्त भाक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतदद्वारा आईटीसी (एचएस), 2017, अनुसूची–I (आयात नीति) के अध्याय 07 के अंतर्गत मदों की नीतिगत भार्तो में संशोधन करती है।

एक्जिम कोड	मद विवरण	आयात नीति	मौजूदा नीतिगत भार्त	सं गोधित नीतिगत भार्त
07019000	आलू, ताजा अथवा प्रशीतितः अन्य	प्रतिबंधित	भूटान से आलू का आयात दिनांक 31 जनवरी, 2021 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत है।	भूटान से आलू का आयात दिनांक 30 जून, 2022 तक बिना किसी लाइसेंस के मुक्त रूप से अनुमत किया जाता है।

अधिसूचना का प्रभावः भूटान से दिनांक 30 जून, 2022 तक एक्जिम कोड 07019000 के अंतर्गत आलू का आयात बिना किसी लाइसेंस के अनुमत किया गया है।

इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

अमित यादव
28/06/2021
(अमित यादव)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ई–मेलः dgft@nic.in

(फा.सं. 01/89/180/02/एएम–17/पीसी–2(ए)/ई–3200 से जारी)